

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय,
8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 10 मार्च, 2017

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पासबुक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित कर्मचारियों के डी0सी0आई0 नम्बर अथवा प्रान नम्बर पर की गयी कटौतियों के विवरण के लेखे जोखे के रख रखाव हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उनके कार्यालयों के एन0पी0एस0 से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से टियर-1 खाते में की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान का विवरण इस शासनादेश से साथ संलग्न प्रारूप पर एन0पी0एस0 पास बुक में रखा जायेगा।

2- ऐसे कार्मिक जिन्हें शासनादेश संख्या-सा-3-1051/दस-2008-301(9)-2003, दिनांक 14 अगस्त 2008 की व्यवस्थानुसार पेंशन, निदेशालय द्वारा डी0सी0आई0 खाता संख्या आवंटित किया गया और बाद में प्रान आवंटित हुआ, के प्रकरणों में डी0सी0आई0 खाता संख्या एवं प्रान दोनों का उल्लेख यथास्थान किया जाये। जब तक डी0सी0आई0 खाते में कटौती की गयी है, तब के लिये जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर से ब्याज का आगणन किया जाये। जिस माह से प्रान में कटौती प्रारम्भ की गयी, उस माह से पास बुक का पृष्ठ बदल कर नवीन पृष्ठ से प्रविष्टियाँ अंकित की जाये, भले ही ऐसा एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान हुआ हो।

3- विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि संलग्न प्रारूप पर एन0पी0एस0 पासबुक यथेष्ट संख्या में मुद्रित कराकर एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों को अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- वर्षानुवर्ष कटौतियों, प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष का मिलान डी0सी0आई0 खाते हेतु निदेशक, पेंशन द्वारा निर्गत वार्षिक लेखा पर्ची तथा प्राण खाते के संबंध में सेन्ट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी द्वारा अभिदाता को उपलब्ध कराये गये स्टेटमेंट से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा भिन्नता होने पर उसके निराकरण हेतु यथेष्ट कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-05/2017/सा-3-109(1)/दस-2017-301(9)/2011.तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
- 3- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एकजीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेन्ट, एन0एस0डी0एल, मुम्बई।
- 4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, 30प्र0 शासन ।
- 8- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, 30प्र0 शासन ।
- 9- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



विभाग/संस्था का नाम
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पास-बुक

नाम :

डी0सी0आई नम्बर :

प्रान नम्बर :

.....

वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-05/2017/सा-3-109/दस- 2017-301(9)/2011, दिनांक : 10-03-2017 द्वारा निर्धारित।

टिप्पणी : जिन कर्मचारियों को पेंशन, निदेशालय द्वारा अन्तरिम रूप से डी0सी0आई0 नम्बर आवंटित किया गया तथा जिन्हें बाद में PRAN आवंटित हुआ उनके मामलों में डी0सी0आई0 नम्बर एवं PRAN दोनों अंकित किये जायें।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अभिदाता से संबंधित निजी विवरण

(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा-05/2017/3-109/दस-2017-301(9)/2011, दिनांक 10-03-2017)

-
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
- अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) :
2. डी0सी0आई0 नम्बर :
- प्राण नम्बर :
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :
4. लिंग : पुरुष स्त्री
5. वैवाहिक स्थिति: विवाहित अविवाहित
6. पदनाम :
7. कार्यालय का नाम :
8. आवेदक का सेवा संवर्ग :
9. सेवा में आने की तिथि :
10. वेतनमान :
11. मूल वेतन :
12. जन्म तिथि :
13. क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ नहीं
14. क्या नामांकन संलग्न है : हाँ नहीं
15. टिप्पणी, यदि कोई हो :

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नामांकन प्रपत्र

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु नामांकन)

डी0सी0आई0 नम्बर :

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

प्राण नम्बर :

मैं..... एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित मात-पिता, बहन-भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :-

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता	अभिदाता से सम्बंध	नामित व्यक्ति की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर)	आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा	यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बंध, यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।
1	2	3	4	5	6
1-					
2-					
3-					
4-					

दिनांक मास.....20

स्थान.....

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम

पता

हस्ताक्षर

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम : (हिन्दी में).....

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

पदनाम.....

1-

2-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान.....

श्री/श्रीमती/कुमारी..... का नाम

हस्ताक्षर (दिनांक सहित).....

पदनाम.....

(कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)

मुहर

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक.....

अभिदाता के हस्ताक्षर

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपश्चात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अधिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करे कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतदपश्चात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर कर रद्द न कर दें।

टिप्पणी- (1) 'बच्चों' का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चे' (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ-5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ.) स्तम्भ-6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अभिदान का विवरण

वित्तीय वर्ष.....

* ब्याज दर(डी0सी0आई0 खाते में की गयी कटौती हेतु।)

डी0सी0आई0 नम्बर :

कर्मचारी का नाम :

प्राण नम्बर :

लेखाशीर्ष :

भुगतान का मास	वेतन/बकाया वेतन/महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि	कोषागार बाउचर/ चालान संख्या और दिनांक	बाउचर/ चालान की धनराशि	कर्मचारी का अंशदान	शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो।	राज्य सरकार/ नियोक्ता का अंशदान	योग (कालम 6+8)	मासिक क्रमागत योग	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल									
मई									
जून									
जुलाई									
अगस्त									
सितम्ब									
अक्टूबर									
नवम्बर									
दिसम्बर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									
योग									

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

डी0सी0आई0 के लिये

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे	
क- प्रारंभिक शेष जोड़िए
ख- (1) वर्ष में नियमित जमा
(2) प्रारंभिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज
(3) वर्ष में अवशेष जमा
(4) अवशेष जमा पर ब्याज
(5) योग (1 से 4 तक)
महायोग (क+ख) (5)

प्रान के लिये

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे	
1- प्रारम्भिक शेष
2- वर्ष के दौरान अभिदाता अंशदान
3- वर्ष के दौरान नियोक्ता अंशदान
4- वर्ष का अन्तिम शेष

सत्यापन

..... द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
..... द्वारा सत्यापन किया गया।

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

नोट :-

- 1- 'नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बंधित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।
- * 2- जिस अवधि तक डी0सी0आई0 में कटौती की गयी है, उस अवधि तक के लिये व्याज दर, जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर के समान होगी। जिस माह से प्रान में धनराशि जमा की जा रही है, इस माह से राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना है। प्रान में कटौती जमा होने के प्रथम माह से पासबुक का पृष्ठ बदल दिया जाये (अर्थात् नये पृष्ठ से इन्टिरी की जायेगी)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।